रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 9, 2000 (अग्रहायण 18, 1922)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 9, 2000 (AGRAHAYANA 18, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंजिल
शहीद भगत सिंह मार्ग

मुम्बई-400001, दिनांक 10 अक्तूबर 2000

सं. औनिऋवि/1/08.15.01/2000-01--वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश :

प्रस्तावना

वाणिज्यिक पत्र एक गैर-जमानती मुद्रा बाजार लिखत है जो वचन-पत्र के रूप में जारी किया जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लिखत के रूप में वाणिज्यिक पत्र उच्च रेटिंग वाले कंपनी-उधारकर्त्ताओं को उनके अल्पावधिक उधारों के स्रोतों के विविधीकरण को सुगम बनाने तथा निवेशकों को एक अतिरिक्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत में 1990 में शुरू किया गया था। बाद में प्राथमिक व्यापारियों तथा अनुषंगी व्यापारियों को भी वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति दे दी गयी ताकि वे अपने काम-काज के लिए निधि संबंधी अल्पावधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। वाणिज्यिक पत्र निर्गत करने संबंधी दिशानिर्देश इस समय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए तथा समय-समय पर यथासंशोधित निर्देशों द्वारा नियंत्रित हैं। वर्ष 2000-2001 की मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसरण में, वित्तीय बाजार की विभिन्न गतिविधियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, एक आंतरिक दल द्वारा की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इन दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जे, 45 के और 45 एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पहले जारी किए गए सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों की जगह, निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है :

वाणिज्यिक पत्र कौन निर्गत कर सकता है

2. कंपनियां, प्राथमिक व्यापारी और अनुषंगी व्यापारी, तथा अखिल भारतीय स्तर की ऐसी वित्तीय संस्थाएं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गई अधिकतम सीमा के अंतर्गत अल्पावधिक संसाधनों की उगाही की अनुमति दी गई है, वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए पात्र हैं।

3. कोई कंपनी आगे बतायी गई शर्तें पूरी करने पर, वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती है--(क) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार कंपनी की भौतिक निवल संपत्ति रु. 4 करोड़ से कम न हो; (ख) उस कंपनी की कार्यशील पूंजी बैंक/बैंकों या अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्था/संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई है; और (ग) वित्त पोषण करने वाले बैंक/बैंकों/संस्था/संस्थाओं द्वारा उस कंपनी के उधार खाते को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

रेटिंग संबंधी अपेक्षा

4. सभी पात्र सहभागी वाणिज्यिक पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ या तो क्रिसिल से या इकरा से या केयर से या फिच से या इस प्रयोजन हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेंगे। न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल की पी-2 या किसी अन्य एजेंसी की समकक्ष रेटिंग होनी चाहिए। वाणिज्यिक पत्र जारी करते समय जारी करने वाली संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि प्राप्त की गई रेटिंग प्रचलित है तथा इसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है।

परिपक्वता

5. वाणिज्यिक पत्र, निर्गम की तारीख से न्यूनतम 15 दिन तथा अधिकतम एक वर्ष के बीच की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं।

मूल्यवर्ग

6. वाणिज्यिक पत्र रु. 5 लाख या उसके गुणजों के मूल्यवर्ग में जारी किए जा सकते हैं। किसी एक निवेशकर्ता द्वारा निवेश की राशि रु. 5 लाख अंकित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए।

वाणिज्यिक पत्र के निर्गम से संबंधित सीमाएं और राशि

7. वाणिज्यिक पत्र "स्टैंड एलोन" लिखत के रूप में जारी किया जा सकता है। निर्गमकर्त्ता द्वारा निर्गत वाणिज्यिक पत्र की कुल राशि निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर होगी। लेकिन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे वाणिज्यिक पत्रों सहित कंपनी के वित्तपोषण के संसाधन संबंधी तौरतरीकों को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूंजी की सीमा निश्चित कर सकें।

8. कोई वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गई अधिकतम सीमा, अर्थात् अन्य लिखतों के साथ वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के भीतर वाणिज्यिक पत्र निर्गत कर सकती है। आशय यह है कि मीयादी उधारों, मीयादी जमाराशियों, जमा प्रमाण-पत्रों और अंतर-कंपनी जमाओं की राशि, नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. निर्गम हेतु प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र की कुल राशि का संग्रहण, निर्गमकर्त्ता द्वारा अभिदान हेतु निर्गम के खोले जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कर लिया जाना चाहिए। वाणिज्यिक पत्र किसी एक तारीख को या खंडों में विभिन्न तारीखों को निर्गत किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि प्रत्येक वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता की तारीख एक ही होगी। वाणिज्यिक पत्र संबंधी प्रत्येक निर्गम की सूचना निर्गम के पूरा होने के बाद तीन दिन के भीतर निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट के माध्यम से, अनुसूची-II में निर्धारित ब्यौरे देते हुए, मुख्य महाप्रबंधक, औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को दी जानी चाहिए।

10. वाणिज्यिक पत्र का प्रत्येक निर्गम, जिसमें उसका नवीकरण भी शामिल होगा, नया निर्गम माना जाएगा।

कौन निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट के रूप में काम कर सकता है

11. कोई अनुसूचित बैंक ही वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के लिए निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट के रूप में काम कर सकता है।

वाणिज्यिक पत्र में निवेश

12. वाणिज्यिक पत्र व्यक्तियों, बैंकिंग कंपनियों, भारत में पंजीकृत या निगमित अन्य कंपनी निकायों और गैर-निगमित निकायों, अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों को जारी किए जा सकते हैं तथा इन्हें ये सभी अपने पास रख सकते हैं। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवेश सेबी द्वारा उनके लिए निश्चित की गई सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

निर्गम का तरीका

13. वाणिज्यिक पत्र या तो वचन-पत्र (अनुसूची-I) के रूप में या सेबी द्वारा अनुमोदित और सेबी के पास पंजीकृत किसी खजाने के माध्यम से "डीमैटिरियलाइज्ड फॉर्म" में भी निर्गत किया जा सकता है। जहां तक वाणिज्यिक पत्र के वर्तमान स्टॉक का सवाल है, यदि निर्गमकर्ता और निवेशक-दोनों सहमत हों तो, उसे या तो फिज़िकल फॉर्म में या डीमैटिरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जा सकता है।

14. वाणिज्यिक पत्र निर्गमकर्ता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अंकित मूल्य से डिस्काउंट पर निर्गत किया जा सकता है।

15. कोई भी निगमकर्ता जारी किए गए किसी वाणिज्यिक पत्र की न तो हामीदारी करा सकता है और उसके लिए न ही कोई अन्य सहस्वीकर्ता रख सकता है।

डीमैटिरियलाइज्ड फॉर्म के लिए अधिमान

16. निर्गमकर्ताओं और अभिदाताओं--दोनों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे वाणिज्यिक पत्र या तो डीमैटिरियलाइज्ड फॉर्म या फिजिकल फॉर्म में निर्गत कर सकें या रख सकें, लेकिन निर्गमकर्ताओं और अभिदाताओं को इस बात को वरीयता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे वाणिज्यिक पत्र डीमैटिरियलाइज्ड फॉर्म में रखें/निर्गत करें। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों और अनुषंगी व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे वाणिज्यिक पत्रों में डीमैटिरियलाइज्ड फॉर्म में ही निवेश करें और इसी रूप में वाणिज्यिक पत्र रखें।

वाणिज्यिक पत्रों का भुगतान

17. वाणिज्यिक पत्र में प्राथमिक निवेशकर्ता वाणिज्यिक पत्र का बट्टाकृत मूल्य, निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट के माध्यम से आदाता खाता में भुगतानयोग्य रेखित चेक द्वारा निर्गमकर्ता के खाते में अदा करेगा। वाणिज्यिक पत्र के परिपक्व हो जाने के बाद, यदि वाणिज्यिक पत्र फिजिकल फॉर्म में होगा तो उसका धारक निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट के माध्यम से संबंधित लिखत भुगतान हेतु निर्गमकर्ता को प्रस्तुत करेगा। लेकिन यदि वाणिज्यिक पत्र डीमैट फॉर्म में होगा तो उसके धारक को

खजाने के माध्यम से उसका मोचन कराना होगा तथा निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना होगा।

स्टैंडबाई सुविधा

18. चूंकि वाणिज्यिक पत्र "स्टैंड एलोन" लिखत है, इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे वाणिज्यिक पत्र के निर्गमकर्ताओं को स्टैंडबाई सुविधा उपलब्ध करायें। फिर भी बैंक और वित्तीय संस्थाएं इस बात के लिए स्वतंत्र होंगी कि वे अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर तथा अपने द्वारा निश्चित की गई शर्तों पर, वाणिज्यिक पत्र के किसी निर्गम के लिए स्टैंडबाई सहायता/ऋण बैक स्टॉप सुविधा के रूप में ऋणों की मात्रा में वृद्धि कर सकें। लेकिन यह प्रचलित विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत और बोर्ड द्वारा विशेष अनुमोदन की शर्त के आधार पर होना चाहिए।

निर्गम की क्रियाविधि

19. प्रत्येक निर्गमकर्ता को वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के लिए एक निर्गमकर्ता व अदाकर्ता एजेंट नियुक्त करना पड़ेगा। निर्गमकर्ता को चाहिए कि वह बाजार की मानक प्रथा के अनुसार संभाव्य निवेशकों को अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी दे दे। निर्गमकर्ता और निवेशक के बीच सौदे की पुष्टि के आदान-प्रदान के बाद निर्गमकर्ता कंपनी निवेशक को फिजिकल सर्टिफिकेट जारी करेगी या वाणिज्यिक पत्र को निवेशक के खाते में खजाने में जमा कर देगी। निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट के इस आशय के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि निवेशक को दी जाएगी कि निर्गमकर्ता ने निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट के साथ विधिमान्य करार कर लिया है तथा दस्तावेज नियमानुकूल है। (अनुसूची-III)।

भूमिका और दायित्व

निर्गमकर्ता, निर्गमकर्ता व अदाकर्ता एजेंट तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भूमिका और उनके दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है:--

(क) निर्गमकर्ता

वाणिज्यिक पत्र के निर्गम संबंधी दिशानिर्देशों के सरलीकरण के साथ ही, निर्गमकर्ता अब अधिक स्वतंत्र होंगे। लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वाणिज्यिक पत्र के निर्गम से संबंधित दिशानिर्देशों और क्रियाविधियों का पूर्णत: पालन किया जाता है।

(ख) निर्गमकर्ता व अदाकर्ता एजेंट

(i) निर्गमकर्ता व अदाकर्ता एजेंट यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निर्गमकर्ता को न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हो और वाणिज्यिक पत्र के निर्गम द्वारा संग्रहीत राशि विनिर्दिष्ट रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो।

(ii) निर्गमकर्ता व अदाकर्ता एजेंट को निर्गमकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों (जैसे बोर्ड के संकल्प, वाणिज्यिक पत्र के फिज़िकल फॉर्म में होने की स्थिति में प्राधिकृत निष्पादकों के हस्ताक्षर) की जांच करनी होगी तथा एक प्रमाणपत्र देना होगा कि सभी दस्तावेज ठीक हैं। उसे यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसने निर्गमकर्ता के साथ विधिमान्य करार कर रखा है (अनुसूची-III)।

(iii) निर्गमकर्ता व अदाकर्ता एजेंट द्वारा सत्यापित किए गए मूलदस्तावेज उसी की अभिरक्षा में रखे रहने चाहिए।

(ग) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

(i) पूंजी बाजार के लिखतों की रेटिंग करने के लिए सेबी द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए निर्धारित की गई आचार संहिता वाणिज्यिक पत्रों की रेटिंग के मामले में भी उन पर लागू होगी।

(ii) इसके अलावा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अब अपने विवेक के अनुसार इस बात का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगी कि निर्गमकर्ता की क्षमता के आधार पर रेटिंग की वैधता-अवधि कितनी हो। तदनुसार रेटिंग करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्पष्टत: इस बात का उल्लेख करेगी कि रेटिंग की समीक्षा किस तारीख को की जानी चाहिए।

(iii) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे क्रेडिट रेटिंग की वैधता की अवधि निश्चित करें, लेकिन उन्हें निर्गमकर्ताओं के पिछले रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए उस रेटिंग पर कड़ी नजर भी रखनी होगी और उसकी सूचना प्रकाशित करके तथा वेबसाइट के जरिये नियमित अन्तराल पर जनसाधारण को भी देनी होगी।

21. वाणिज्यिक पत्र बाजार के परिचालनगत लचीलेपन और सुचारु संचालन के लिए, नियत आय वाली मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों के लिए स्वयं-नियामक संगठन के रूप में फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट ऐंड डेरिवेटिव्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया कोई भी मानक कार्यविधि तथा प्रलेखन निर्धारित कर सकता है जिसका पालन सहभागियों को अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप करना होगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित की गई कार्यविधि/प्रलेखनों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

22. इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अधिनियम में निर्धारित दंड दिए जा सकते हैं तथा इसके अंतर्गत वाणिज्यिक पत्र बाजार में सहभागी के रूप में काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल होगा।

कुछ अन्य दिशानिर्देशों का लागू न होना

23. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोक जमा स्वीकरण निर्देश, 1998 की कोई भी बात, इन दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक पत्र निर्गत करके जमाराशियां स्वीकार करने के मामले में किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होगी।

24. इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त कुछ शब्दों की परिभाषाएं संलग्नक में दी गयी हैं।

म. गो. श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

संलग्नक

परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक :

(क) "बैंक" या "बैंकिंग कंपनी" का तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में यथापरिभाषित कोई बैंकिंग कंपनी या उसके क्रमश: खंड (डीए), खंड (एनसी) और खंड (एनडी) में यथापरिभाषित "तदनुरूपी नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" या "सहायक बैंक" है तथा इसके अंतर्गत, उस अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में यथापरिभाषित कोई "सहकारी बैंक" शामिल है।

(ख) "अनुसूचित बैंक" का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कोई बैंक है।

(ग) "अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं" का तात्पर्य वे वित्तीय संस्थाएं हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिकतम सीमा के अंदर मीयादी मुद्रा, मीयादी जमाराशियों और जमा प्रमाण-पत्रों द्वारा संसाधनों के संग्रहण की अनुमति दी है।

(घ) "प्राथमिक व्यापारी" का तात्पर्य कोई ऐसी वित्तीय संस्था है जिसे दिनांक 29 मार्च 1995 को निर्गत तथा समय-समय पर यथासंशोधित "सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्राथमिक व्यापारियों के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारी का प्राधिकार-पत्र जारी किया है।

(ङ) "अनुषंगी व्यापारी" का तात्पर्य कोई ऐसी वित्तीय संस्था है जिसे दिनांक 31 दिसंबर 1996 को निर्गत तथा समय-समय पर यथासंशोधित "सरकारी प्रतिभूति बाजार के अनुषंगी व्यापारियों के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुषंगी व्यापारी का प्राधिकार-पत्र जारी किया है।

(च) "कार्पोरेट" या "कम्पनी" का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई (एए) में यथापरिभाषित कम्पनी है लेकिन इसके अंतर्गत कोई ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जो प्रचलित कानूनों के अनुसार बन्द की जा रही हो।

(छ) "गैर-बैंकिंग कंपनी" का तात्पर्य कोई ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग कंपनी से भिन्न हो।

(ज) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई (एफ) में यथापरिभाषित कोई कंपनी है।

(झ) "कार्यशील पूंजी सीमा" का तात्पर्य ऐसी कुल सीमा है जिसके अंतर्गत कार्यशील पूंजी संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी एक या एक से अधिक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा मंजूर किया गया बिलों का क्रय/डिस्काउंट भी शामिल है।

(ञ) "मूर्त निवल संपत्ति" का तात्पर्य, कंपनी के नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, संचित हानिशेष, आस्थगित राजस्व व्यय के शेष, तथा अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद शेष बची प्रदत्त पूंजी तथा निर्बंध आरक्षित निधियां हैं (जिसके अंतर्गत शेयर प्रीमियम खाते के शेष, पूंजी और डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियां तथा ऐसी अन्य निधियां शामिल हैं जो किसी भावी देयता की चुकौती या आस्तियों में मूल्यह्रास या अशोध्य ऋणों के लिए निर्मित न की गई हों। इसमें आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा निर्मित आरक्षित निधियां भी शामिल हैं)।

(ट) प्रयोग किए गए ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियां, जिनकी परिभाषा यहां नहीं दी गई है लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में दी गयी है, उन्हीं अर्थों में प्रयुक्त हैं जो अर्थ उस अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

अनुसूची-I

जिस राज्य में जारी किया जाना
---------- हो उस राज्य के प्रचलित कानून
(निर्गमकर्ता कंपनी/संस्था का नाम) के अनुसार स्टैम्प लगाया जाए

क्रमांक

निर्गम का स्थान : ----------दिनांक----------

परिपक्वता की तारीख ----------(छूट के दिनों के बिना)।
(यदि इस तारीख को कोई छुट्टी हो तो भुगतान उसके ठीक पूर्ववर्ती दिन किया जाएगा)

प्राप्त मूल्य के लिए ----------
(निर्गमकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

एतद्द्वारा, ऊपर विनिर्दिष्ट परिपक्वता की तारीख को ----------
(निवेशक का नाम)

को या उनके आदेशानुसार, रु.---------- की राशि,
(शब्दों में)

---------- को यह
(निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट)

वाणिज्यिक पत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित किए जाने पर, अदा करने का वचन देती है।

---------- के लिए और की ओर से
(निर्गमकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

इस वाणिज्यिक पत्र पर सभी पृष्ठांकन शर्तरहित तथा स्पष्ट होने चाहिए।

प्रत्येक पृष्ठांकन आबंटित/नियत स्थान पर लिखा जाना चाहिए।

---------- को या उनके
(अंतरिती का नाम)

आदेशानुसार संबंधित राशि अदा करें।

---------- के लिए और उनकी ओर से
(अंतरणकर्ता का नाम)

अंतरणकर्त्ता

1.	"
2.	"

	अंतरणकर्त्ता
3.	"
4.	"
5.	"
6.	"
7.	"
8.	"

अनुसूची-II

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए निर्गमकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रारूप।

निर्गमकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,
औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
केन्द्रीय कार्यालय,
मुंबई-400 001.

(---------- के माध्यम से)
(निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेन्ट का नाम)

प्रिय महोदय,

वाणिज्यिक पत्र का निर्गम

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 10 अक्तूबर 2000 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र का विवरण निम्नलिखित है :--

(i) निर्गमकर्ता का नाम :

(ii) पंजीकृत कार्यालय और पता :

(iii) कारोबारी गतिविधियां :

(iv) उन स्टॉक एक्सचेंजों के नाम जहां निर्गमकर्ता के शेयर सूचीबद्ध हैं (यदि लागू हो तो) :

(v) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार मूर्त निवल संपत्ति :

(vi) कुल कार्यशील पूंजी सीमा :

(vii) बकाया बैंक उधार :

(viii)(क) निर्गत वाणिज्यिक पत्र का विवरण (अंकित मूल्य) :

	निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	राशि	दर
(i)				
(ii)				

(ख) वर्तमान निर्गम सहित वाणिज्यिक पत्र की बकाया राशि (अंकित मूल्य) :

(ix) क्रिसिल से या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त रेटिंग (रेटिंग प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें) : (i) (ii) (iii)

(x) क्या वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के संबंध में कोई स्टैंडबाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है ? :

(xi) यदि हां, तो

(i) स्टैंडबाई सुविधा की राशि : रु. करोड़

(ii) यह सुविधा किसने उपलब्ध करायी (बैंक/वित्तीय संस्था का नाम) :

(निर्गमकर्ता का नाम)

के लिए और उनकी ओर से

अनुसूची-III

प्रमाणपत्र

हमने ---------- के साथ
(निर्गमकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

विधिमान्य निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट संबंधी करार किया है।

2. हमने ---------- द्वारा प्रस्तुत किए गए
(निर्गमकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

दस्तावेजों, यथा बोर्ड के संकल्प तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र का सत्यापन कर लिया है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि ये दस्तावेज नियमानुसार हैं। मूल दस्तावेज हमारी अभिरक्षा में रखे हुए हैं।

3. *हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि रु. ----------
(रुपये ----------
शब्दों में ----------)
के दिनांक----------के
क्रमांक ----------
के संलग्न वाणिज्यिक पत्र का निष्पादन करने वालों के हस्ताक्षर---------- द्वारा
(निर्गमकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)

दाखिल किए गए हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट का नाम व पता)

स्थान :

दिनांक :

*(फ़िजिकल फॉर्म वाले वाणिज्यिक पत्र पर लागू)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय
239 विधान भवन मार्ग

मुंबई-400021, दिनांक 12 अगस्त 2000

सं. ओएसआर/17--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. ये विनियम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 कहलाएंगे।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 विनियम 19 के उप विनियम (1) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"परंतु जिस अधिकारी कर्मचारी की जन्म-तिथि महीने की पहली तारीख को है वह सेवा-निवृत्ति की आयु पर पहुंचने पर पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन अपराह्न को सेवा-निवृत्त होगा।"

जी. आर. आनंद
महाप्रबंधक (कार्मिक)

पद टिप्पणी :--उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन नीचे दिए गये विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे।

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	ओ एस आर/14	28-10-96

विजया बैंक

बेंगलौर, दिनांक 17 अक्तूबर 2000

विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000

सं. पीईआर/आईआरडी/2463/2000--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 14.1.1995 की अधिसूचना सं. 110 द्वारा यथा संशोधित विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम 1984 का अधिक्रमण करते हुए, विजया बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--

(i) इन विनियमों को **विजया बैंक** अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता :--

ये विनियम, निम्नलिखित के सिवाय, बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे :

(i) बैंक का अध्यक्ष;

(ii) बैंक का प्रबंध निदेशक;

(iii) पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो तो;

(iv) बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल अधिकारी कर्मचारी;

(v) वे, जो आकस्मिक रोजगार में हैं या जिन्हें आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है;

(vi) पंचाट स्टाफ;

(vii) संविदागत अधिकारी;

3. परिभाषाएं :--

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--

(क) 'बैंक' से तात्पर्य है विजया बैंक;

(ख) 'मंडल' से तात्पर्य है विजया बैंक के निदेशक मंडल;

(ग) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए मंडल द्वारा शक्ति प्रदत्त अधिकारी;

(घ) 'गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार' से निम्नलिखित तात्पर्य है --

(i) किसी भी रूप में कोई रोजगार, जिसमें किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित), सहकारी समिति, फर्म में एजेंट या व्यापार वाणिज्यिक, वित्तीय या व्यावसायिक कारोबार में लगे व्यक्ति शामिल हैं और इसमें ऐसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) का निदेशक और ऐसी फर्म की भागीदारी शामिल है, परन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व वाले या नियंत्रण वाले किसी निगमित निकाय के अधीन रोजगार शामिल नहीं हैं;

(ii) उन मामलों में, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, या तो स्वतंत्र रूप से या किसी के भागीदार के रूप में, व्यवसाय शुरू करना, जिनके संबंध में व्यक्ति के पास :--

(क) कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है और वे मामले, जिनके संबंध में व्यवसाय शुरू किया जाना है या किया जाता है, उसके सरकारी ज्ञान या अनुभव से संबंधित हैं या

(ख) व्यावसायिक योग्यता है परन्तु वे मामले, जिनके संबंध में ऐसा व्यवसाय शुरू किया जाना है, इस तरह के हैं, जिनसे उसकी पूर्व सरकारी हैसियत की वजह से उसके ग्राहकों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है, या

(ग) उसे ऐसा कार्य शुरू करना है, जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संबंध या संपर्क करना शामिल है।

स्पष्टीकरण :--इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "सहकारी समिति के अधीन रोजगार" अभिव्यक्ति में शामिल हैं, यथा सभापति, अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि, उस समिति में चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, जैसा कोई पद धारित करना, चाहे चर्याति हो या अन्यथा।

(ङ) 'अधिकारी कर्मचारी' का तात्पर्य है, ऐसा व्यक्ति जो बैंक में पर्यवेक्षक, प्रशासक या प्रबंधकीय पद पर रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसे सेवानिवृत्ति के समय बैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या जिसने अधिकारी के रूप में कार्य किया हो चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो।

4. सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार स्वीकार करना :--

(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले अधिकारी कर्मचारी के पद पर रहा हो और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने के पहले निजी क्षेत्र में कोई कार्य स्वीकार करने का इच्छुक हो तो उसे इस संबंध में बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) उप विनियमन (3) के प्रावधानों के अधीन, बैंक किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र पर लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, जो आवश्यक हो, किसी व्यक्ति को आवेदन.पत्र में विनिर्दिष्ट निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है, या मना कर सकता है, जिसका कारण आदेश में रिकार्ड किया जाएगा।

(3) किसी व्यक्ति को उप विनियमन (2) के अधीन कोई व्यावसायिक रोजगार अपनाए जाने की अनुमति देने या इस प्रकार की अनुमति से मना करने पर बैंक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :--

(क) अपनाए जाने वाले प्रस्तावित रोजगार की प्रकृति और नियोक्ता के पूर्ववृत्त;

(ख) क्या अपनाए जाने वाले रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की हो सकती है कि बैंक के साथ उसका संघर्ष हो;

(ग) क्या अधिकारी कर्मचारी, जबकि वह सेवा में था, ने उस नियोक्ता के साथ, जिसके अधीन उसे कार्य करना प्रस्तावित है, कोई इस प्रकार का लेन-देन किया था जिससे इस प्रकार का शक होने का तर्कसंगत आधार बने कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे नियोक्ता के प्रति पक्षपात दर्शाया हो;

(घ) क्या प्रस्तावित व्यावसायिक रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की है जिसमें बैंक के साथ संबंध या संपर्क रहेगा;

(ङ) क्या उसके व्यावसायिक रोजगार इस प्रकार के हैं जिसमें बैंक के अधीन उसकी पूर्व आधिकारिक स्थिति का ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोक्ता, अनुचित लाभ उठा सकता है;

(च) प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली परिलब्धियां; और

(छ) कोई अन्य संबद्ध कारक।

(4) जहां उपविनियमन (2) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति दिनांक से साठ दिनों की अवधि के अंदर यदि बैंक आवेदन पर अनुमति नामंजूर नहीं करता है या आवेदक को इस नामंजूरी के बारे में सूचित नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदन पत्र के संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर दी है;

बशर्ते कि, किसी ऐसे मामले में जहां कि आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी गई है और बैंक के लिए उससे स्पष्टीकरण या और सूचना मांगना आवश्यक हो तो साठ दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को ऐसी त्रुटि आवेदक ने दूर कर दी या पूर्ण सूचना दे दी।

(5) जहां बैंक किसी शर्त के अधीन आवेदन किए गए प्रयोजन की अनुमति प्रदान करता है या ऐसी अनुमति देने से मना करता है तो आवेदक, बैंक से ऐसे आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के अंदर ऐसी किसी शर्त या मनाही के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और बैंक उस पर ऐसा आदेश करेगा, जैसा वह उचित समझें;

बशर्ते कि, इस उप विनियमन के अधीन ऐसी शर्त रद्द करने वाला आदेश या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुमति प्रदान करने वाले आदेश के अलावा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जिससे कि अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओं का अंवसर न प्रदान किया जा सके।

(6) इस विनियमन के अधीन बैंक द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश को संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

बी. श्रीधर शेट्टी
महा प्रबंधक (कार्मिक)

RESERVE BANK OF INDIA
INDUSTRIAL AND EXPORT CREDIT DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE BUILDING, 12TH FLOOR
SHAHID BHAGAT SINGH ROAD

Mumbai-400 001, the 10th October 2000

No. IECD/1/08-15-01/2000-01.–Guidelines for Issue of Commercial Paper (CP).

Introduction

Commercial Paper (CP) is an unsecured money market instrument issued in the form of a promissory note. CP as a privately placed instrument, was introduced in India in 1990 with a view to enabling highly rated corporate borrowers to diversify their sources of short-term borrowings and to provide an additional instrument to investors. Subsequently, primary dealers and satellite dealers were also permitted to issue CP to enable them to meet their short-term funding requirements for their operations. Guidelines for issue of CP are presently governed by various directives issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time. In pursuance of the Statement on Monetary and Credit Policy for the Year 2000-2001, to keep pace with several developments in the financial market, it has been decided to modify the guidelines in the light of recommendations made by an Internal Group. Now, the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K, and 45 L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) issues the following guidelines replacing all earlier directions/guidelines on the subject.

Who can issue Commercial Paper (CP)

2. Corporates, primary dealers (PDs) and satellite dealers (SDs), and the all-India financial institutions (FIs``) that have been permitted to raise short-term resources under the umbrella limit fixed by Reserve Bank of India are eligible to issue CP.

3. A corporate would be eligible to issue CP provided (a) the tangible net worth of the company, as per the latest audited balance sheet, is not less than Rs. 4 crore; (b) company has been sanctioned working capital limit by bank/s or all-India financial institution/s; and (c) the borrowal account of the company is classified as a Standard Asset by the financing bank/s/institution/s.

Rating Requirement

4. All eligible participants shall obtain the credit rating for issuance of Commercial Paper from either the Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL) or the Investment Information and Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA) or the Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) or the FITCH Ratings India Pvt. Ltd. or such other credit rating agency (CRA) as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time, for the purpose. The minimum credit rating shall be P-2 of CRISIL or such equivalent rating by other agencies. The issuers shall ensure at the time of issuance of CP that the rating so obtained is current and has not fallen due for review.

Maturity

5. CP can be issued for maturities between a minimum of 15 days and a maximum upto one year from the date of issue.

Denominations

6. CP can be issued in denominations of Rs. 5 lakh or multiples thereof. Amount invested by single investor should not be less than Rs. 5 lakh (face value).

Limits and the Amount of Issue of CP

7. CP can be issued as a "stand alone" product. The aggregate amount of CP from an issuer shall be within the limit as approved by its Board of Directors. Banks and FIs will, however, have the flexibility to fix working capital limits duly taking into account the resource pattern of companies' financing including CPs.

8. An FI can issue CP within the overall umbrella limit fixed by the RBI i.e., issue of CP together with other instruments viz., term money borrowings, term deposits, certificates of deposit and inter-corporate deposits should not exceed 100 per cent of its net owned funds, as per the latest audited balance sheet.

9. The total amount of CP proposed to be issued should be raised within a period of two weeks from the date on which the issuer opens the issue for subscription. CP may be issued on a single date or in parts on different dates provided that in the latter case, each CP shall have the same maturity date. Every CP issue should be reported to the Chief General

Manager, Industrial and Export Credit Department (IECD), Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai through the Issuing and Paying Agent (IPA) within three days from the date of completion of the issue, incorporating details as per Schedule II.

10. Every issue of CP, including renewal, should be treated as a fresh issue.

Who can act as Issuing and Paying Agent (IPA)

11. Only a scheduled bank can act as an IPA for issuance of CP.

Investment in CP

12. CP may be issued to and held by individuals, banking companies, other corporate bodies registered or incorporated in India and unincorporated bodies, Non-Resident Indians (NRIs) and Foreign Institutional Investors (FIIs). However, investment by FIIs would be within the limits set for their investments by Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Mode of Issuance

13. CP can be issued either in the form of a promissory note (Schedule I) or in a dematerialised form through any of the depositories approved by and registered with SEBI. As regards the existing stock of CP, the same can continue to be held either in physical form or can be dematerialised, if both the issuer and the investor agree for the same.

14. CP will be issued at a discount to face value as may be determined by the issuer.

15. No issuer shall have the issue of Commercial Paper underwritten or co-accepted.

Preference for Dematerialised form

16. While option is available to both issuers and subscribers, to issue/hold CP in dematerialised or physical form, issuers and subscribers are encouraged to prefer exclusive reliance on dematerialised form of issue/holding. Banks, Financial Institutions, PDs and SDs are advised to invest and hold CPs only in dematerialised form, as soon as arrangements for such dematerialisation are put in place.

Payment of CP

17. The initial investor in CP shall pay the discounted value of the CP by means of a crossed account payee cheque to the account of the issuer through IPA. On maturity of CP, when the CP is held in physical form, the holder of the CP shall present the instrument for payment to the issuer through the IPA. However, when the CP is held in demat form, the holder of the CP will have to get it redeemed through the depository and receive payment from the IPA.

Stand-by Facility

18. In view of CP being a 'stand alone' product, it would not be obligatory in any manner on the part of banks and FIs to provide stand-by facility to the issuers of CP. Banks and FIs would, however, have the flexibility to provide for a CP issue, credit enhancement by way of stand-by assistance/credit backstop facility etc., based on their commercial judgement and as per terms prescribed by them. However, these should be within the prudential norms as applicable and subject to specific approval of the Board.

Procedure for Issuance

19. Every issuer must appoint an IPA for issuance of CP. The issuer should disclose to the potential investors its financial position as per the standard market practice. After the exchange of deal confirmation between the investor and the issuer, issuing company shall issue physical certificates to the investor or arrange for crediting the CP to the investor's account with a depository. Investors shall be given a copy of IPA certificate to the effect that the issuer has a valid agreement with the IPA and documents are in order (Schedule III).

Role and Responsibilities

20. The role and responsibilities of issuer, IPA and CRA are set out below:

(a) Issuer

With the simplification in the procedures for CP issuance, issuers would now have more flexibility. Issuers would, however, have to ensure that the guidelines and procedures laid down for CP issuance are strictly adhered to.

(b) Issuing and Paying Agent (IPA)

(i) IPA would ensure that issuer has the minimum credit rating as stipulated by the RBI and amount mobilised through issuance of CP is within the quantum indicated by CRA for the specified rating.

(ii) IPA has to verify all the documents submitted by the issuer viz., copy of board resolution, signatures of authorised executants (when CP in physical form) and issue a certificate that documents are in order. It should also certify that it has a valid agreement with the issuer (Schedule III).

(iii) Original documents verified by the IPA should be held in the custody of IPA.

(c) Credit Rating Agency (CRA)

(i) Code of Conduct prescribed by the SEBI for CRAs for undertaking rating of capital market instruments shall be applicable to them (CRAs) for rating CP.

(ii) Further, the credit rating agency would henceforth have the discretion to determine the validity period of the rating depending upon its

perception about the strength of the issue. Accordingly, CRA shall at the time of rating clearly indicate the date when the rating is due for review.

(iii) While the CRAs can decide the validity period of credit rating, CRAs would have to closely monitor the rating assigned to issuers vis-a-vis their track record at regular intervals and would be required to make its revision in the ratings public through its publications and website.

21. Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), as a self-regulatory organisation (SRO) for the fixed income money market securities, may prescribe, for operational flexibility and smooth functioning of CP market, any standardised procedure and documentation that are to be followed by the participants, in consonance with the international best practices. Till such time, the procedures/documentations prescribed by IBA should be followed.

22. Violation of these guidelines will attract penalties prescribed in the Act by the RBI and may also include debarring from the CP market.

Non-applicability of Certain Other Directions

23. Nothing contained in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 shall apply to any non-banking financial company (NBFC) insofar as it relates to acceptance of deposit by issuance of CP, in accordance with these Guidelines.

24. Definitions of certain terms used in the Guidelines are provided in the Annexure.

M. G. SRIVASTAVA
Executive Director

ANNEXURE

Definitions

In these guidelines, unless the context otherwise requires:

(a) "bank" or banking "banking company" means a banking company as defined in clause (c) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or a "corresponding new bank", "State Bank of India" or "subsidiary bank" as defined in clause (da), clause (nc) and clause (nd) respectively thereof and includes a "co-operative bank" as defined in clause (cci) of Section 5 read with Section 56 of that Act.

(b) "scheduled bank" means a bank included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(c) "All India Financial Institutions (FIs)" mean those financial institutions which have been permitted specifically by the Reserve Bank of India to raise resources by way of Term Money, Term Deposits and Certificates of Deposit within umbrella limit.

(d) "Primary Dealer" means a financial institution which holds a valid letter of authorisation as a Primary Dealer issued by the Reserve Bank, in terms of the "Guidelines for Primary Dealers in Government Securities Market" dated March 29, 1995, as amended from time to time.

(e) "Satellite Dealer" means a financial institution which holds a valid letter of authorisation as a Satellite Dealer issued by the Reserve Bank, in terms of the "Guidelines for Satellite Dealers in Government Securities Market" dated December 31, 1996, as amended from time to time.

(f) "corporate" or "company" means a company as defined in Section 45 I (aa) of the Reserve Bank of India Act, 1934 but does not include a company which is being wound up under any law for the time being in force.

(g) "non-banking company" means a company other than banking company.

(h) "non-banking financial company" means a company as defined in Section 45 I (f) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(i) "working capital limit" means the aggregate limits, including those by way of purchase/ discount of bills sanctioned by one or more banks/ FIs for meeting the working capital requirements.

(j) "Tangible net worth" means the paid-up capital plus free reserves (including balances in the share premium account, capital and debentures redemption reserves and any other reserve not being created for repayment of any future liability or for depreciation in assets or for bad debts or reserve created by revaluation of assets) as per the latest audited balance sheet of the company, as reduced by the amount of accumulated balance of loss, balance of deferred revenue expenditure, as also other intangible assets.

(k) words and expressions used but not defined herein and defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall have the same meaning as assigned to them in that Act.

SCHEDULE I

Stamp duty to be affixed as in force in the State in which it is to be issued

_____
(Name of the Issuing Company/Institution)

Serial No._____

Issued at_____ Date of Issue_____
(Place)

Date of Maturity_____without days of grace. (If such date happens to fall on a holiday, payment shall be made on the immediate preceding working day)

For value received_____
(Name of the Issuing Company/Institution)

hereby promises to pay_____or order on the
(Name of the Investor)

maturity date as specified above the sum of Rs.———— (in words) upon presentation and surrender of this Commercial Paper to_____
(Name of the Issuing and Paying Agent)

For and on behalf of_____
(Name of the Issuing Company/Institution)

Authorised Signatory Authorised Signatory

All endorsements upon this Commercial Paper must be clean and distinct.

Each endorsement should be written within the space allotted.

Pay to_____or order
(Name of Transferee)

the amount within named.

For and on behalf of

(Name of the Transferor)

1. "
2. "
3. "
4. "
5. "
6. "
7. "
8. "

SCHEDULE II

Proforma of information to be submitted by the Issuer for issue of Commercial Paper to be submitted to The Reserve Bank through the Issuing and Paying Agent (IPA).

To :

The Chief General Manager
Industrial and Export Credit Department
Reserve Bank of India
Central Office
Mumbai-400 001

Through : (Name of IPA)

Dear Sir,

Issue of Commercial Paper

In terms of the Guidelines for issuance of Commercial Paper issued by the Reserve Bank dated October 10, 2000, we have issued Commercial Paper as per details furnished hereunder :

(i) Name of the Issuer :

(ii) Registered Office and Address :

(iii) Business activity

(iv) Name/s of Stock Exchange/s with whom shares of the issuer are listed (if applicable) :

(v) Tangible net worth as per latest audited balance sheet (copy enclosed) :

(vi) Total Working Capital Limit :

(vii) Outstanding Bank Borrowings :

(viii) (a) Details of Commercial Paper issued (Face Value) :

	Date of Issue	Date of Maturity	Amount	Rate
(i)				
(ii)				

(b) Amount of CP outstanding (Face Value) :

(ix) Rating(s) obtained from the Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL) or any other agency approved by the Reserve Bank (A copy of the rating certificate should be enclosed) : (i) (ii) (iiii)

(x) Whether standby facility has been provided in respect of CP Issue?

(xi) If yes

(i) the amount of the standby facility : Rs. Crore

(ii) provided by :

• (Name of bank/FI)

For and on behalf of

(Name of the Issuer)

SCHEDULE III

CERTIFICATE

We have a valid IPA agreement with the ————.
(Name of Issuing Company/Institution)

We have verified the documents viz., board resolution and certificate issued by the Credit Rating Agency submitted by_____

(Name of the Issuing Company/Institution)

and certify that the documents are in order. Original documents are held in our custody.

3.* We also hereby certify that the signatures of the executants of the attached Commercial Paper bearing Sr. No._____dated_____ for Rs._____(Rupees_____) (in words) tally with the specimen signatures filed by_____ (Name of the Issuing Company/Institution)

(Authorised Signatory/Signatories)
(Name and address of Issuing and Paying Agent)

Place :

Date :

(Applicable to CP in physical form)

UNION BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
239, VIDHAN BHAVAN MARG

Mumbai-400021, the 12th August 2000

No. OSR/17.–In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub section (2) of section 12 of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:–

1. Short Title and Commencement:–

(1) These Regulations may be called Union Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, after explanation to sub-regulation (1) of regulation 19, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that an officer employee whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of retirement."

G. R. ANAND
General Manager (P)

Foot Note: The amendments carried out earlier in the above regulation were published in the official gazette as per details given below:–

Sr. No.	Notification No.	Date
1	OSR/14	28-10-96

VIJAYA BANK

Bangalore, the 17th October 2000

Vijaya Bank Officer Employees (acceptance of jobs in private sector concerns after retirement) Regulation, 2000

PER : IRD : 2463:2000.–In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, (40 of 1980) and in supersession of Vijaya Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations 1984, and as amended vide notification No. 110 dated 14-1-1995 the Board of Directors of Vijaya Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely:–

Short Title and Commencement

(i) These Regulations may be called Vijaya Bank Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000.

(ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Application:

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the bank except:

(i) Chairman of the bank;

(ii) Managing Director of the bank;

(iii) Whole time Director, if any;

(iv) Officer Employees covered under the Bank's (Employees) Pension Regulations, 1995;

(v) Those who are in casual employment or paid from contingency;

(vi) The Award Staff;

(vii) Officers on contract.

3. Definition

In these regulations unless the context otherwise requires:–

(a) 'Bank' means Vijaya Bank;

(b) 'Board' means the Board of Directors of the Vijaya Bank;

(c) 'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;

(d) 'Employment in private concerns' means:–

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a

banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the person :—

(a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(c) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the bank.

EXPLANATION :— For the purposes of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

(e) 'Officer employee' means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the bank or any other person who was appointed and/or has functioned as an officer of the bank at the time of his retirement by whatever designation called.

4. **Acceptance of Employment after Retirement :—**

(1) If a person who immediately before his retirement was holding the post of an officer employee and wishes to accept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the bank to such acceptance.

(2) Subject to the provision of sub regulation (3), the bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.

(3) In granting or refusing permission under sub regulation (2) to a person for taking up any commercial empolyment the bank shall have regard the following factors, namely :—

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the bank;

(c) whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such person has shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with bank;

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

(f) the emoluments offered by the proposed employer; and

(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the bank shall be deemed to have granted the permission applied for;

Providded that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the bank may make such orders thereon as it deems fit;

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) Every order passed by the bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

B. SRIDHAR SHETTY
General Manager (Personnel)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000